भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †2483

जिसका उत्तर सोमवार, 15 दिसम्बर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक) को दिया गया

महाराष्ट्र में पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना

†2483. श्री ओमप्रकाश भूपालसिंह उर्फ पवन राजेनिंबालकर:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के आरंभ से लेकर अब तक इसके अंतर्गत नामांकित कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा धाराशिव, बीड, लातूर और नांदेड़ के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों सहित जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त राज्य के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में उक्त योजना के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का बीमित राशि बढ़ाने, प्रीमियम कम करने या सहभागिता को बेहतर बनाने के लिए अतिरिक्त लाभ देने का विचार है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) बेहतर निगरानी और शिकायत निवारण के लिए राज्य सरकार, जिला कलेक्टरों और अग्रणी बैंकों के साथ समन्वय स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पंकज चौधरी)

(क): महाराष्ट्र में पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के आरंभ से लेकर अब तक इसके अंतर्गत नामांकित व्यक्तियों की कुल संख्या के साथ-साथ विशेष रूप से धाराशिव, बीड, लातूर और नांदेड़ के ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों से संबंधित जिला-वार ब्यौरा **अनुबंध-I** में संलग्न है।

(ख) से (घ): पीएमजेजेबीवाई योजना के अंतर्गत जागरूकता बढ़ाने, नामांकन में सुधार करने, ड्रॉप-आउट दरों को कम करने के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

i. पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत कवरेज बढ़ाने के लिए बैंकों और स्थानीय प्रशासन की सक्रिय भागीदारी के साथ समय-समय पर जमीनी स्तर पर विनियमित अभियान आयोजित किए गए।

ii. हाल ही में, दिनांक 1.7.2025 से 31.10.2025 तक देश भर में 2.70 लाख ग्राम पंचायतों और शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में 4 महीने का "वित्तीय समावेशन संतृप्ति अभियान" शुरू किया गया था। पीएमजेजेबीवाई में परिपूर्णता प्राप्त करने के लिए, बैंकों द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर और यूएलबी में शिविर आयोजित किए गए, जिससे निवासियों को योजना में नामांकन के लिए सूचना और सहायता तक सीधी पहुंच प्रदान की गई। इस पहल का उद्देश्य

जागरूकता बढ़ाना और सहभागिता में सुधार करना, मौके पर नामांकन सहित ग्रामीण क्षेत्रों में अंतराल को पाटने में मदद करना था। 4 महीने की अभियान अवधि के दौरान महाराष्ट्र राज्य की 27,594 ग्राम पंचायतों में 27,593 शिविर आयोजित किए गए। ये शिविर राज्य सरकार और जिला प्रशासन के समन्वय से आयोजित किए गए थे।

iii. राज्य स्तर पर पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत कवरेज बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समितियां (एसएलबीसी)/संघ राज्य क्षेत्र स्तरीय बैंकर्स समितियां (यूटीएलबीसी) राज्य सरकारों, जिला कलेक्टरों, बैंकों, सरकारी एजेंसियों, अग्रणी जिला प्रबंधकों और वित्तीय संस्थानों सहित सभी हितधारकों के बीच समन्वय करती हैं।

iv. वित्तीय साक्षरता केंद्र (सीएफएल) परियोजना वर्ष 2017 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा वित्तीय साक्षरता के लिए समुदाय के नेतृत्व वाले अभिनव और सहभागी दृष्टिकोण को अपनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है। 31 मार्च, 2025 की स्थिति के अनुसार, देश भर में कुल 2,421 सीएफएल स्थापित किए गए हैं, जिनमें से एक सीएफएल औसतन तीन ब्लॉकों को कवर करता है।

v. बैंकिंग सेवाएं वितरण प्रणाली में अंतिम छोर तक संपर्क का प्रतिनिधित्व करने वाले लगभग 16 लाख बैंकिंग प्रतिनिधियों (बीसी) का एक मजबूत नेटवर्क भी पीएमजेजेबीवाई के अंतर्गत पात्र लोगों को नामांकित कर रहा है।

vi. प्रत्येक सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत सभी बैंकों को लक्ष्यों का आबंटन और बैंकों के कार्य-निष्पादन की आवधिक समीक्षा नियमित अंतरालों पर की जाती है और यदि आवश्यक हो, तो सुधारात्मक प्रयास किए जाते हैं।

vii. पीएमजेजेबीवाई के लिए निर्बाध नामांकन और दावा प्रेषण के माध्यम से एंड-टू-एंड डिजिटल यात्राओं के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा संरक्षण तक किफायती सार्वभौमिक पहुंच प्रदान करने और लाभार्थियों को सशक्त बनाने के लिए एक जनसुरक्षा पोर्टल शुरू किया गया है। सार्वजनिक क्षेत्र के सभी 12 बैंकों, 28 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और 11 बीमा कंपनियों को पोर्टल पर शामिल किया गया है। इसके अलावा, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, जनसुरक्षा पोर्टल (www.jansuraksha.gov.in) अंग्रेजी, हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं में इस योजना से संबंधित फॉर्म, नियम, अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) आदि सहित सभी प्रासंगिक सामग्री/सूचनाओं को आयोजित करता है।

वर्तमान में, प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के लिए कोई संशोधन विचाराधीन नहीं है।

*****

दिनांक 15.12.2025 को उत्तर के लिए नियत लोकसभा के अतारांकित प्रश्न संख्या †2483 के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध।

दिनांक 26.11.2025 तक पीएमजेजेबीवाई के लिए महाराष्ट्र के जिलेवार ग्रामीण/अर्ध-शहरी नामांकन					
क्र. सं.	**जिले का नाम**	**ग्रामीण/अर्ध-शहरी**	**शहरी**	**अभिसरित योजनाएं/ आरसीबी***	**संचयी नामांकन**
1	अहमदनगर	5,18,812	1,28,134	17,606	6,64,552
2	अकोला	1,29,927	1,49,104	1,652	2,80,683
3	अमरावती	2,29,880	1,68,808	308	3,98,996
4	औरंगाबाद	3,81,853	3,23,566	3,192	7,08,611
5	बीड	3,72,334	1,53,082	311	5,25,727
6	भंडारा	2,67,250	16,580	203	2,84,033
7	बुलढाणा	3,52,087	38,725	1	3,90,813
8	चंद्रपुर	2,96,077	1,61,587	21	4,57,685
9	धुले	2,22,083	80,624	36	3,02,743
10	धाराशिव/उस्मानाबाद	2,59,638	65,191	102	3,24,931
11	गढ़चिरौली	1,56,550	3,196	2,377	1,62,123
12	गोंदिया	2,67,909	1,23,883	735	3,92,527
13	हिंगोली	2,21,457	4,543	0	2,26,000
14	जलगाव	3,90,614	2,30,684	289	6,21,587
15	जालना	2,05,705	61,947	724	2,68,376
16	कोल्हापूर	3,94,073	2,37,514	10,444	6,42,031
17	लातूर	3,03,853	1,41,496	268	4,45,617
18	मुंबई	47,566	5,95,120	28,561	6,71,247
19	मुंबई उपनगरीय	60,729	8,08,017	0	8,68,746
20	नागपुर	4,37,907	4,39,533	263	8,77,703
21	नांदेड़	4,45,221	1,77,134	80	6,22,435
22	नंदुरबार	2,25,536	39,316	10	2,64,862
23	नासिक	5,72,149	3,55,281	2,950	9,30,380
24	परभणी	2,39,349	69,964	335	3,09,648
25	पुणे	6,00,780	17,21,366	4,031	23,26,177
26	रायगढ़	3,16,730	1,02,606	1,629	4,20,965
27	रत्नागिरी	2,48,552	13,086	695	2,62,333
28	सांगली	2,37,149	78,286	19,377	3,34,812
29	सतारा	3,42,228	61,704	1	4,03,933

30	सिंधुदुर्ग	1,30,775	4,825	5,262	1,40,862
31	सोलापुर	4,95,529	2,37,496	3,013	7,36,038
32	ठाणे	1,88,778	6,83,582	267	8,72,627
33	वर्धा	1,98,756	1,01,368	7	3,00,131
34	वाशिम	1,31,619	5,884	1	1,37,504
35	यवतमाल	3,03,590	1,21,030	247	4,24,867
36	पालघर	2,17,332	1,31,392	0	3,48,724
जिला कुल		**1,04,10,377**	**78,35,654**	**1,04,998**	**1,83,51,029**
अन्य**		**0**	**0**	**2,64,373**	**2,64,373**
राज्य कुल		**1,04,10,377**	**78,35,654**	**3,69,371**	**1,86,15,402**

स्रोत: सार्वभौमिक योजनाओं के लिए बैंक और अभिसरित योजनाओं के लिए बीमा कंपनियां।

*नोट * अभिसरित योजनाओं / आरसीबी के लिए जनसांख्यिकीय वितरण उपलब्ध नहीं है।*

*** अन्य में आरसीबी/ यूसीबी/ अभिसरित योजनाओं के नामांकन शामिल हैं, जिनके लिए जिलावार और जनसांख्यिकीय वितरण उपलब्ध नहीं है।*